न्यायालय : जिला एवं सत्र न्यायाधीश, शिवहर।

जमानत आवेदन संख्या–22/2019

दिनांकः 16–02–2019

काराधीन अभियुक्तगण–1. मुकेश राम एवं 2. राजेन्द्र राम की ओर से पूर्व में दाखिल जमानत आवेदन को उनके विद्वान अधिवक्ता श्री रामसेवक राम ने संचालित किया, जिस पर उनको तथा सूचक की ओर से उनके विद्वान अधिवक्ता श्री नागेन्द्र शरण तथा अभियोजन की ओर से विद्वान लोक अभियोजक श्री शैलेन्द्र कुमार को सुना। यह वाद पिपराही थाना कांड संख्या–165/18, अन्तर्गत भारतीय दंड संहिता की धारा–363, 366–ए/34 के अपराध के लिए दर्ज किया गया है। आवेदक अभियुक्तगण दिनांक–20–01–2019 से न्यायिक अभिरक्षा में है।

अभियोजन का मामला संक्षेप में इस प्रकार है कि सूचक सुरेश राम की पुत्री चंचल कुमारी, उम्र सोलह वर्ष दिनांक–08–12–2018 को दोस्तियां चौक पर पढ़ने आई थी, देर शाम जब वह घर वापस नहीं लौटी तो सूचक अपने सगे–संबंधियों के अलावा अन्य जगहों पर उसका खोज किया, लेकिन उसकी पुत्री का पता नहीं चला। खोज–बीन के क्रम में दूसरे दिन ग्रामीणों द्वारा सूचक को पता चला कि उसकी पुत्री को मुकेश राम के साथ मोटर साईकिल पर जाते हुए देखा है। सूचक ने आगे लिखा है क उसे पूर्ण विश्वास है कि मुकेश राम पिता राजेन्द्र राम, राजेन्द्र राम पिता नाम नामालूम ने उसकी नाबालिग पुत्री को शादी की नियत से बहला फुसलाकर अपहरण कर ले गया है। इसी आधार पर यह कांड संस्थित हुआ।

जमानत आवेदन को प्रचालित कर आवेदक अभियुक्तगण के विद्वान अधिवक्ता कथन करते हैं कि आवेदक अभियुक्तगण दि0 20–01–2019 से कारा में है। उभय पक्षों के बीच सुलह हो गया है, जिसके संबंध में आवश्यक कागजात जमानत आवेदन के साथ संलग्न किया गया है। पीड़िता एवं उसके पिता, जो सूचक हैं न्यायालय में उपस्थित है। पीड़िता की शादी आवेदक अभियुक्त–मुकेश राम के साथ हो गई है। पीड़िता एवं अभियुक्त के बीच पूर्व से प्रेम–प्रसंग था और वे दोनों दि0 12–12–2018 को पुनौराधाम, सीतामढ़ी में शादी कर अभियुक्तगण के घर दामपत्य जीवन जी रहे हैं। अपहृता के धारा–164 द0प्र0सं0 के बयान से भी साबित होता है कि अपहृता बालिग है और उसकी उम्र 19 वर्ष है। आवेदक अभियुक्तगण कारा में है। आवेदकगण सक्षम बंध पत्र देने को तैयार है। अतः आवेदक अभियुक्तगण को जमानत पर मुक्त करने की कृपा की जाय।

विद्वान लोक अभियोजक एवं सूचिका के विद्वान अधिवक्ता ने जमानत आवेदन का विरोध नहीं किया।

उभय पक्षों को सूना। अभिलेख एवं अधीनस्थ न्यायालय के अभिलेख का अवलोकन किया। अभिलेख एवं अधीनस्थ न्यायालय के अवलोकन से विदित होता है कि आवेदक अभियुक्तगण प्राथमिकी के नामजद अभियुक्त हैं। आवेदक अभियुक्तगण सूचक की नाबालिग पुत्री को शादी की नियत से अपहरण कर ले जाने का अभियोग है। अभिलेख के अवलोकन से विदित होता है कि उभय पक्षों के बीच संधि हो गई है, जिसका समर्थन पीड़िता एवं सूचक ने न्यायालय में उपस्थित होकर स्वयं किया है तथा कथन करते हैं कि उभय पक्षों में सुलह हो गया है। पीड़िता यह भी कथन करती है कि वह मुकेश राम के साथ शादी कर पति–पत्नी के रूप में रह रही है। आवेदक अभियुक्तगण दिनांक–20–01–2019 से कारा में है।

अतः उभय पक्षों के बीच सुलह, पीड़िता की बरामदगी एवं आवेदक अभियुक्त–मुकेश राम के साथ उसकी शादी हो जाने को दृष्टिगत रखते हुए तथा आवेदक अभियुक्तगण की न्यायिक अभिरक्षा की अवधि ध्यान में रखते हुए आवेदक अभियुक्तगण–1. मुकेश राम एवं 2. राजेन्द्र राम के द्वारा सम्बद्ध विद्वान न्यायिक दंडाधिकारी के संतुष्टियोग्य दो प्रतिभूओं के साथ मो0 10,000/– (दस हजार) रुपये का जमानत बंध निष्पादित किये जाने पर उन्हें दं0प्र0सं0 की धारा–437 (3) के शर्तों के अधीन जमानत पर मुक्त करने का आदेश दिया जाता है।

लेखापित एवं शुद्धिकृत

प्रभारी जिला एवं सत्र न्यायाधीश,
शिवहर ।